न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट –तृतीय जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 73/2018
3. उनवान : तोफकंवर पत्नि गोपालसिंह निवासी ताजपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. सचिव भूदान बोर्ड त्रिपोलिया बाजार जयपुर।
2. कैलाश दत्तक पुत्र रुपनारायण निवासी ताजपुरा तहसील फुलेरा।
3. हनुमान जी पत्नि रामकिशोर निवासी ताजपुरा तहसील फुलेरा।
4. तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्टस

4. निर्णय दिनांक : 03.01.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री राधेश्याम पारीक अपीलान्ट ओर से।
   ब) सरकार पैरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा तथा अन्य खसरा नम्बरों की भूमि के खातेदार रुपनारायण ने अपीलांट को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 26–4–63 को विक्रय कर कब्जा अपीलान्ट को मौके पर करा दिया था, तब से ही अपीलान्ट आज तक निरन्तर काबिज चली आ रही है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना अथवा जानकारी नहीं दी गई। अपीलान्ट ने भूदान यज्ञ कानून 1954 की धारा 11 के अनुसार तहसीलदार के समक्ष भूदान में दिये जाने का कोई घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया। जब घोषणा पत्र ही नहीं दिया गया, तो तहसीलदार द्वारा घोषणा पत्र को जांच करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात पटवारी ने भूदान यज्ञ की धारा 11 व 15 की कार्यवाही के बिना ही स्वतः ही भूमि का नामान्तरकरण भूदान बोर्ड के नाम स्वीकार कर लिया। अतः नामान्तरकरण अवैध होने से शून्य है तथा उसके अन्तर्गत भूदान बोर्ड को कोई अधिकारी उत्पन्न नहीं होते। दिनांक 30–12–63 को विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण खोला गया, उस पर पटवारी ने बिना किसी आधार के खसरा नम्बर 172 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा में से 5 बीघा रकबा संख्या सासी को भूमि को भूदान बोर्ड द्वारा दिये जाने तथा संख्या सासी के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का नोट लगाकर अपीलान्ट को विक्रय की गई भूमि में से 5 बीघा रकबा कम कर नामान्तरकरण खोला गया। तथाकथित आदेश व नोट बिना किसी आधार के खोला गया है। खसरा गिरदावरी संवत् 2017–2019 के विशेष विवरण में रुपनारायण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 133 में से 5 बीघा भूमि संख्या सासी को दिये जाने का नोट है, किन्तु 2023 की गिरदावरी संख्या सासी को भूदान में दिये जाने का नोट काटकर खसरा नम्बर 172 के विशेष कालम में भूदान बोर्ड द्वारा दिये जाने तथा संख्या सासी के नाम नामान्तरकरण संख्या 106 से खातेदारी देने का नोट बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के लगा दिया, जो पूर्णतः अवैध है। क्योंकि अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 30–12–63 को खोला गया था, जबकि नामान्तरकरण संख्या 25–11–64 का है, जो परस्पर विरोधी है। अतः तथाकथित कार्यवाही बिना क्षेत्राधिकार बिना सक्षम अधिकार के आदेश से की गई है। भूमि खसरा नम्बर 172 संपूर्ण रकबे पर अपीलान्ट ही काबिज चले आ रहे हैं, संख्या सासी का कब्जा खसरा नम्बर 172 पर कभी नहीं रहा, बल्कि संख्या सासी का कब्जा खसरा नम्बर 133 पर रहा तथा इसकी मृत्यु के बाद में उसके उत्तराधिकारियों का कब्जा भी खसरा नम्बर 133 पर ही है। संख्या सासी के उत्तराधिकारियों ने भूदान यज्ञ बोर्ड की मंशा के विपरीत भूमि को अन्य लोगों को विक्रय कर दिया तथा क्रेताओं का कब्जा भी खसरा नम्बर 133 पर है। क्रेतागण ने भूमि खसरा नम्बर 133 पर बोरिंग कराकर बिजली भी लगा रखी है। अतः तथाकथित नामान्तरकरण मौके के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार हो तथा रेस्पोडेन्टस के नाम खोला गया नामान्तरकरण भी निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अर्पीलान्ट ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, शपथ पत्र, अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं अन्य दस्तावेजात की प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट 2 व 3 ने अपील का जवाब प्रस्तुत किया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

जवाब मे अंकित किया गया है कि अपील तहसीलदार फुलेरा के आदेश दिनांक 25.11.1964 व नामान्तरकरण संख्या 106 को चुनौती दी गयी है तथा अपीलाधीन अपील करीब 50 साल बाद पेश की गयी है। सम्बंधित राजस्व रिकार्ड मे सारा इन्द्राज किया होता है तथा अपीलाधीन आदेश की शुरु से अपीलाण्ट को जानकारी रही है तथा अपीलाण्ट ने अपील में मिथ्या तथ्य दर्ज करते हुये अपील पेश की गयी है तथा मियाद से सम्बन्ध में कोई कारण उल्लेख नहीं है। यदि किसी सम्पत्ति पर 50 साल से दूसरे के नाम से है, तो उस सम्पत्ति पर अन्य किसी का अधिकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। प्रार्थीया को दिनांक 25.11.1964 के नामान्तरकरण संख्या 106 की शुरु से जानकारी रही है तथा कागजात व रेवेन्यू रिकार्ड में शुरु से नामान्तरकरण खुल रखा है तथा 50 साल बाद अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश को चुनौती देने का कोई हक अधिकार नही है तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होकर प्रथम दृष्टया सरसरी तौर पर खारिज योग्य है। अपील आदेश के विरुद्ध की है या नामान्तरकरण के विरुद्ध पेश की है, अपील मे स्पष्ट नही है। खसरा नंबर 172 में से 5 बीघा भूमि भूदान मण्डल द्वारा ग्रहण करने पर उस भूमि को संख्या सासी को दे दी गयी तथा जिसका नियमानुसार नामान्तरकरण खोला गया, जिस पर उक्त संख्या सासी ने अपने खातेदारी अधिकारों के तहत अपनी इस जमीन का आवण्टन कर्ता व्यक्ति को कर दिया गया तथा यह जमीन खसरा नंबर 172 में से 5 बीघा भूमि है, जो पहले भूदान मण्डल की लगी, उसके बाद संख्या सासी नाम लगी तथा उसके बाद संख्या सासी द्वारा अन्य व्यक्ति को बेचान कर दी गयी। संख्या सासी का खसरा नम्बर 133 में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार वास्ता कब्जा नहीं रहा तथा संख्या सासी व उसके खरीददार क्रेताओं का या भूदान यज्ञ बोर्ड का खसरा नंबर 133 में किसी प्रकार कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है, न कभी कब्जा रहा तथा प्रार्थी मिन उत्तरदाता को बेजा परेशान करने से व जमीन की भाव बढने से यह मिथ्या आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। लम्बे समय तक पत्रावली वास्ते जवाब–उल–जवाब एवं बहस हेतु नीयत रहने के दौरान उभय पक्षकारान अनुपस्थित रहे है। हमने प्रस्तुत अपील जवाब भूदान बोर्ड एवं विपक्षी सं. 2 व 3 के जवाब का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण बाद जांच खोला गया है, जो विधि सम्मत एवं नियमानुसार है। उक्त नामान्तरकरण भूदान में देने से भरा गया है। तत्पश्चात नामान्तरकरण भूदान बोर्ड के नाम स्वीकृत किया गया, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः जवाब में अपील के अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य होने का कथन अंकित किया है एवं तहसीलदार फुलेरा के आदेश दिनांक 25.11.1964 व नामान्तरकरण संख्या 106 को चुनौती दी गयी है तथा अपीलाधीन अपील करीब 50 साल बाद पेश की गयी है। अपीलाण्ट ने अपील में मिथ्या तथ्य दर्ज करते हुये अपील पेश की गयी है तथा मियाद से सम्बन्ध में कोई कारण उल्लेख नहीं है। प्रार्थीया को दिनांक 25.11.1964 के नामान्तरकरण संख्या 106 की शुरु से जानकारी रही है तथा कागजात व रेवेन्यू रिकार्ड में शुरु से नामान्तरकरण खुला हुआ है तथा 50 साल बाद अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश को चुनौती देने का कोई हक अधिकार नहीं है। अपील आदेश के विरुद्ध की है या नामान्तरकरण के विरुद्ध पेश की है, अपील में स्पष्ट नहीं है। भूमि खसरा नंबर 172 में से 5 बीघा भूमि है, जो पहले भूदान मण्डल की लगी, उसके बाद संख्या सासी नाम लगी तथा उसके बाद संख्या सासी द्वारा अन्य व्यक्ति को बेचान कर दी गयी। संख्या सासी का खसरा नम्बर 133 में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार वास्ता कब्जा नहीं रहा तथा संख्या सासी व उसके खरीददार क्रेताओं का या भूदान यज्ञ बोर्ड का खसरा नंबर 133 में किसी प्रकार कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। अतः अपील अपीलान्ट मिथ्या तथ्यों पर पेश करने के कारण खारिज योग्य है।

उभयपक्षकारान के दौराने बहस अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली वास्ते आदेश नीयत की गई। हमने पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली, जवाब एवं तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपील अपीलांट मियाद बाहर होने एवं अपील मे अंकित तथ्यों का कोई पुख्ता आधार अंकित नहीं होने के कारण अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate
JAIPUR